उपहति (Hurt)

उपहति की परिभाषा– धारा 319:– जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता हैं, वह उपहति करता है, यह कहा जाता हैं।

टिप्पणी– शरीर के दर्द को भी उपहति में शामिल किया गया है। किसी स्त्री को उसके बाल पकड़कर खीचनें को उपहति का अपराध माना गया है किसी के शरीर में रोग कारित करना उपहति माना गया हैं। अंग शैथिल्य से तात्पर्य मानव शरीर के किसी अंग द्वारा अपने सामान्य कार्य को करने में असमर्थ हो जाना है। यह आवश्यक नही कि ऐसा स्थाई रूप से हो।

<u>परिभाषा घोर उपहति धारा 320:—</u> उपहति की निम्न किस्में घोर उपहति कहलाती हैं—

पहला:— पुंसत्वहरण

पुंसत्वहरण का अर्थ है किसी पुरूष का उसकी पुरूषत्व शक्ति से वंचित करना। पुंसत्वहरण को गम्भीर उपहति माने जाने के पीछे यह आशय था कि स्त्रियां पुरूषों के अण्डकोषों को न भीचें।

दूसरा:— दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थाई विच्छेद।

तीसरा:— दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थाई विच्छेद

चौथाः— किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद

पांचवाः— किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थाई ह्रास

छठाः— सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण (Disfiguration)

विद्रूपीकरण का अर्थ है किसी आदमी को ऐसी उपहतिकारित करना जो उसके रूप को बिगाड देती है चेहरे को स्थायी रूप से बिगाडना घोर उपहति है जैसे— किसी आदमी की नाक,कान या होंठ को काट लेना। जहां एक लडकी के गाल लोहे की लाल गरम छड़ से दाग दिये गये थे, जिनसे उन पर स्थायी रूप से दाग पड गये थे, घोर उपहति माना गया।चेहरे पर तेजाब ज्यादा मात्रा में डाला गया,जिससे चेहरा रूथायी रूप से बिगड़ गया,घोर उपहति माना गया।

सातवाः— हड्डी या दॉत का भंग या विसंधान (Fracture or Dislocation)

हड्डी का कट जाना,टुकडे होकर टूट जाना या उसमें कोई दरार का पड़ जाना अस्थिभंग माना जायेगा।

आठवाः— कोई उपहति, जो जीवन को संकटापत्र करती है या जिसके कारण चुटहल व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम—काज को करने के लिए असमर्थ रहता है। बीस दिन की समयावधि शारीरिक पीड़ा या अपनें मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहने के लिये निर्धारित की गयी है। ऐसी उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नही है।

उपहति के दण्ड

धारा 323—जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा

अधिकतम— एक वर्ष तक का कारावास

साधारण हथियार से

साधारण चोट—

धारा 324—जो कोई असन,वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाय,तो उसे मृत्युकारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा,या किसी बिष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वॉस में जाना या निगलना या रक्त में पहुॅचना मानव शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा।

अधिकतम— तीन वर्ष तक का कारावास

खतरनाक हथियार से साधारण चोट

टिप्पणी–धारा 323 साधारण हथियार अथवा कार्यो से साधारण चोट का पहुॅचाना है।जबकि धारा 324 का अपराध तब बनता है जब साधारण चोट पहुॅचाने में किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक हथियारों या खतरनाक पदार्थो या जीव जन्तु का उपयोग किया जाता है। बन्दूक, पिस्टल, तलवार,चाकू आदि खतरनाक हथियार है। लाठी साधारण हथियार है। तेजाब, खौलता हुआ पानी या तेल लाल गरम लोहे की छड़ खतरनाक पदार्थ हैं।

धारा 325– जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा–

अधिकतम– सात वर्ष तक का कारावास

साधारण हथियार से गंभीर चोट

धारा 326–जो कोई असन,वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाय,तो उसे मृत्युकारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा,या किसी बिष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वॉस में जाना या निगलना या रक्त में पहुॅचना मानव शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा।

अधिकतम– आजीवन कारावास तक

खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट

टिप्पणी–साधारण कार्यो या साधारण हथियारों से गंभीर चोट पहुँचाने पर धारा 325 लागू होगी जबकि खतरनाक हथियारों या खतरनाक पदार्थो के द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने पर धारा 326 लागू होगी। तेजाब,खतरनाक पदार्थ की श्रेणी में आता है अतः जब कोई किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा स्थायी रुप से बिगाड़ देता है तो वह धारा 326 के अधीन दण्ड का हकदार होगा। दॉत को काटने का उपकरण माना गया है। असन (Shooting) का अर्थ बन्दूक की गोली का जाना या तीर की तरह जाना है। वेधन (stabing) के लिये हथियार का नुकीला होना आवश्यक है।

धारा 327—सम्पत्ति उद्दापित करने के लिये या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

अधिकतम —10 वर्ष तक का कारावास

साधारण उपहति को कठोरतापूर्वक इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया गया है क्योंकि उपहति कारित करने का उद्देश्य खतरनाक होता है।

धारा 328—(जहरखुरानी)—जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाय या अपराध का किया जाना सुगम हो जाय, या यह संभाव्य जानते हुये कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई बिष या जड़िमाकारी (stupefying) ,नशा करने वाली या अस्वास्थकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा।

अधिकतम—दस वर्ष तक का कारावास

रेल या बस में चोरी करने के आशय से किसी व्यक्ति को नशीले बिस्कुट या फल खिला देना धारा 328 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

धारा 332—लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य से निवारित या भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

अधिकतम— तीन वर्ष तक का कारावास

लोक सेवक को साधारण चोट

इस धारा का उद्देश्य लोक सेवकों को अपने कर्तव्य में निर्भीकता प्रदान करने से है।

धारा 333—लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य से निवारित या भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

अधिकतम— दस वर्ष तक का कारावास

लोक सेवक को गंभीर चोट